18-5-2026

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसालय अल्केश पुत्र श्री कस्तुर चन्द कुमार, जाति– हीरागर, निवासी– प्रेमनगर, गांधीनगर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है, जो इस न्यायालय में दिनांक 24–10–2025 को दर्ज हुआ है एवं यह प्रकरण अभी तक हाजरी गैरसायल में लम्बित है। चूंकि गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही इस न्यायालय में दर्ज हुये छः माह से अधिक समय हो गया है तथा इस अवधि में गैरसायल के जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त होने की कोई सूचना/रिपोर्ट न्यायालय पत्रावली में उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, गैरसालय के विरुद्ध यह कार्यवाही अब आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत यह कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमा हरेकर नंबर से कम हो।

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001